Dehli Height — Fire

कार्यालय संयुक्त निदेशक फा0स0 लखनऊ।

पत्रांकःआर–46 / जे0डी0 / जीवीएन–13(गाजि0) / 75/284 दिनांकः अप्रैल 26 2016,

सेवा मे,

सहायक अभियन्ता,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषयः मैसर्स श्री विजय कुमार एवं अशोक कुमार वाडिया द्वारा सेक्टर–14, नियर सिरोजनी सहकारी समिति कौशाम्बी गाजियाबाद मे प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन (दिल्ली हाईट) के निर्माण हेतु शमनीय मानचित्रो की अनुज्ञा हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भः यूआईडी:2016 / 20672 / जीजैडबी / गाजियाबाद / 1291 / जेडी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक के प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से प्रश्नगत भवन के निर्माण हेतु शमनीय मानचित्रो की अनुज्ञा हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। जिसके अनुपालन मे आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत आवासीय भवन के निर्माण हेतु शमनीय मानचित्रो के साथ अन्य वॉच्छनीय अभिलेख प्रस्तुत कर प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी वैशाली गाजियाबाद से कराया गया तथा उनकी आख्या पत्र संख्याः भ–14 / एफएसवी / 13 दिनांकः 21–04–2016 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा कर अपनी आख्या दिनांकः 25–04–2016 उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः– प्रश्नगत भवन का पूर्व मे इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांकः 08–04–2013 के माध्यम से निर्गत किया गया है।

कुल प्लाट एरिया– 4901.300 वर्गमीटर।

कमांक	तलों का विवरण	पूर्व मे स्वीकृत कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	वर्तमान मे प्रस्तावित कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	अधिमोग
01	भूतल / स्टिल्ट	1096.916	1138.109	पार्किंग
02	01 से 15वें तल तक	1039.316 प्रत्येक।	1028.470 प्रत्येक।	आवासीय
03	16वां तल	683.213	1028.470	आवासीय
04	17वां एवं 18वां तल	–	1028.470 प्रत्येक।	आवासीय
05	19वां तल	–	26.657+210.458 (कम्यूनिटी एरिया)	आवासीय
06	अपर एवं लोअर बेसमेन्ट	3237.14 प्रत्येक।	3255.246 प्रत्येक।	पार्किंग
07	भवन की ऊचॉईः–	53.45 मीटर।	64.35	

भवन का अधिमोग एवं हैजार्डः–प्रश्नगत भवन का अधिमोग आवासीय अपार्टमेन्ट, (एन0बी0सी0–2005 की ए–4 श्रेणी) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1–पहुॅच मार्गः– भूखण्ड के सामने मानचित्रो मे रोड की चौडाई 24 मीटर प्रदर्शित है जो भवन नियमावली के मानको के अनुसार है।

2–प्रवेश द्वारः–प्रश्नगत भवन मे प्रवेश द्वार की चौडाई 07.50 मीटर प्रदर्शित है।

3–सैटबैकः– प्रश्नगत भवन के सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग–15.00 मीटर।

बी0–पृष्ठभाग–15.00 मीटर।

सी0–पार्श्व प्रथम–15.00 मीटर।

डी0–पार्श्व द्वितीय–15.00 मीटर।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवनो के चारो ओर अग्निशमन वाहनो की आवश्यकताओ हेतु 06–06 मीटर हार्ड सरफेस युक्त मोटरेबुल मार्ग रखा जाना अनिवार्य होगा, जिसे सदैव अवरोध मुक्त ऑफ्न टू स्काई रखा जायेगा। जिसमे किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य एवं पार्किंग आदि अनुमन्य नही होगी।

4–निकास मार्गः–प्रश्नगत भवन में 04 अदद स्टेयरकेस जिनकी चौडाई 01.50 मी0 प्रस्तावित है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। तथा 01 स्टेयर फायर टावर के रूप मे बनाया जाना अनिवार्य होगा। बेसमेन्ट मे लिफट लॉबी तथा स्टैयर लॉबी का निर्माण कराया जाना अनिवार्य होगा।

(2) लिफटः–सभी टावरो मे न्यूनतम एक लिफट को एन0बी0सी00 मानको के अनुरूप फायर लिफट के रूप मे बनाया जाना अनिवार्य होगा।

5–रिफ्यूज एरियाः– प्रश्नगत भवन रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फलैट में बालकनी का प्राविधान किया गया है,जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

30/4/2016

प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 तथा भवन की महत्ता एवं फायर रिस्क के दृष्टिगत निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐ कराया जाना आवश्यक है।

1-टैरिस टैक :-प्रस्तावित भवन की टेरिस पर 25,000 ली0 क्षमता मय 900 एलपीएम टेरेस पम्प व अन्य ब्लाको की टेरेस पर टेरेस टैक क्षमता 25,000 लीटर स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

2-भूमिगत टैक:-प्रश्नगत भवन मे अण्डर ग्राउण्ड वाटर स्टोरेज टैंक क्षमता-2,00,000 (दो लाख) लीटर मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वॉछनीय है।

3-फायर पम्प-प्रस्तावित भवन में दो इलैक्ट्रिक फायर पम्प क्षमता 2850 एलपीएम समान क्षमता का डीजल फायर पम्प तथा 02 अदद जॉकी पम्प क्षमता 180 एल0पी0एम0 का प्राविधान किया जाना वॉछनीय है।

4-होजरील मय डाउन कमर:-प्रश्नगत भवन के प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व मय होज बाक्स, होज पाइप एवं ब्रांच पाइप आईएस:3844 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वॉछनीय है।

5-वेटराईजर सिस्टम:-प्रश्नगत भवन में वेटराईजर सिस्टम का प्राविधान मानको के अनुसार कराया जाना वॉछनीय है।

6-यार्ड हाइड्रेन्ट सिस्टम:-प्रश्नगत भवन मे यार्ड हाइड्रेन्ट सिस्टम का प्राविधान मानको के अनुसार कराया जाना उचित होगा।

7-ऑटोमेटिक स्प्रिकंलर सिस्टम:-प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन मे ऑटोमेटिक स्प्रिकलर सिस्टम का प्राविधान मानको के अनुसार कराया जाना वॉछनीय है।

8-मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम:- प्रस्तावित भवन मे मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान मानको के अनुसार कराया जाना वॉछनीय है।

9-आटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम एवं अलार्म सिस्टम:-प्रश्नगत भवन मे आटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम एवं अलार्म सिस्टम का प्राविधान मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

10-फायर एक्सटिंग्यूशर: प्रश्नगत भवन में आई0एस0 2190 मानक के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर्स का प्राविधान कराया जाना वॉछनीय है।

11-कम्पार्टमेन्टेशन:-प्रश्नगत भवन मे कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

12-एग्जिट साइनेज:- प्रश्नगत भवन मे एग्जिट साइनेज मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वॉच्छनीय है।

13-प्रेशराइजेशन- प्रश्नगत भवन मे प्रेशराइजेशन प्रणाली एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

14-स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम:-प्रश्नगत भवन के बेसमेन्टो मे मैकेनिकल वैन्टीलेशन/स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

15-पी0ए0सिस्टम :- सम्पूर्ण भवन मे पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था स्थापित करते हुए भवन के सभी तलों के कॉमन एरिया में लाउडस्पीकर लगाये जायें तथा पी0ए0 सिस्टम का कन्ट्रोल स्विच एवं माईक्रोफोन, एम्पलीफायर भूतल पर नियन्त्रण कक्ष (कण्ट्रोल रूम/सुरक्षा कक्ष) में अनिवार्य रूप से स्थापित कराया जाये। नियन्त्रण कक्ष में लिफ्ट के इन्टरकम्यूनिकेशन सिस्टम के साथ-साथ सभी आकस्मिक सेवाओं से सम्बन्धित संचार सुविधा उपलब्ध रहे।

16-प्रश्नगत भवन मे इमरजेन्सी/स्केप लाइटिंग एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 मे उल्लेखित प्राविधानो के अनुसार कराया जाना प्राविधानित होगा।

17-भवन मे निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन एवं सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 प्रस्तर सी0-5,सी-6,सी-7,सी-8, एवं सी-9 मे उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।

18-भवन की सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट,स्टेयर कैसो व कोरिडोर की लाइटो को वैकल्पिक उर्जा श्रोत से प्रथक लाइन(वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुये जोडा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार संस्तुति आख्याओं के आधार पर मैसर्स श्री विजय कुमार एवं अशोक कुमार वाडिया द्वारा सेक्टर-14, नियर सिरोजनी सहकारी समिति कौशाम्बी गाजियाबाद मे प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन (दिल्ली हाईट) के मानचित्रो की अनुज्ञा हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई मे अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 तथा एन0बी0सी0-2005 मे उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन निर्माण उपरान्त भवन का प्रयोग करने से पूर्व भवन मे अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाऐं मानको के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर पूर्णता अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा निर्गत किये जाने वाला भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(पी0के0राव)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ।

संयुक्त निदेशक फा0 स0
उ0 प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपि:1-उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मैसर्स श्री विजय कुमार एवं अशोक कुमार वाडिया द्वारा सेक्टर-14, नियर सिरोजनी सहकारी समिति कौशाम्बी गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।